वाद पत्र

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
311/2021 पुष्कर v/s कैलाश वगैरह	

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0। विभाजन प्रस्ताव/ आपति विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 29.12.2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (राज.)

वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकुलाय उप0। विभाजन प्रस्ताव /आपति विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकुलाय उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील वादी ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर आपति जाहिर करते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार नीमकाथाना ने मौके पर न जाकर बाला–बाला एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया हैं। विभाजन प्रस्ताव में चाह ख0नं0 598 रकबा 0.01 है0 में वादी 1/2 हिस्से का खातेदार होने के बावजूद सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादीगण को दे दिया गया हैं। अतः प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को खारिज कर तहसीलदार नीमकाथाना से पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाए जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें। वकील वादी की बहस के प्रत्युत्तर में वकील प्रतिपक्ष ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा समस्त खातेदान का खाता विभाजन बाई मीट्स एवं बाउण्डस के आधार पर किया गया हैं। ख0नं0 598 रकबा 0.01 है. गै.मु.चाह मौके पर मौजूद नही हैं। भूमिगत जल स्तर नीचे गिर जाने एवं कुएं में पानी सूख जाने के कारण अनुपयोगी होने से उक्त कुएं को कई वर्षो पूर्व ही सभी खातेदारान की स्वतंत्र सहमति से कुएं को मिट्टी से भर दिया गया। जो आज अस्तित्व में नही होने से उक्त भूमि में सभी खातेदारान की सहमति से प्रतिवादी बलबीर के द्वारा करीब 20 वर्ष से अधिक समय पूर्व आवासीय मकानात का निर्माण कर लिया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया आपत्ति विभाजन प्रस्ताव वास्तविक तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो भारी हर्जे के साथ खारिज फरमाकर वादपत्र मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव, आपत्ति विभाजन प्रस्ताव एवं जवाब आपति विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वकील वादी ने अपनी आपत्ति में कोई स्पष्ट अंकन नही किया जिस कारण विभाजन प्रस्ताव दुबारा से मंगवाया जाना आवश्यक हो। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 29.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम नीमकाथाना **(सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. प्रभू पुत्र किशना जाति जाट निवासी गोडावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–वादी

बनाम

1. कैलाश पुत्र मूला वगैरह

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. 311 सन् 2021

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **रोशन लाल अग्रवाल एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री मनीराम जाखड़ मिनजानिब यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **वाद वादी मुताबिक** तृत **विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम** ी **का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद**

.....................मुबलिग...बाबत...खर्चा इस मुकदमें
य सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 29 माह 12 सन् 2025** को जारी की गई।

दस्तखत..........(राजवीर सिंह यादव)
ओहदा.............उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।